कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी,
जौनपुर।

पत्रांक 563 /एस0टी0/2019–20 दिनांक– 23 अक्टूबर, 2019

अतिअल्पकालीन निविदा–सूचना

(1) जनपद जौनपुर के बदलापुर में दि0–05 व 06.11.2019 को "बदलापुर महोत्सव" के आयोजन हेतु इवेन्ट मैनेजर से महोत्सव प्रतिशत दर के आधार पर निविदा आमंत्रित की जाती है।

(2)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाख रू0 में)	धरोहर राशि (लाख रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य व जीएसटी सहित	निविदा स्थल/ कार्यालय का पता
1	जौनपुर	स्टेज/टेन्टेज/पी0ए0 साउण्ड सिस्टम/स्टेज लाईट/डीजी जनरेटर सेट/वैरिकेटिंग कार्य/ फ्लावर डेकोरेशन कार्य/स्टेज बैक ड्राप आदि सम्बन्धी कार्य	10.00	1.00	दिनांक 04.11.2019 तक	रू0 1000.00	विकास भवन चतुर्थ तल (सभाकक्ष)

(3). निविदा प्रपत्र जिला विकास अधिकारी, जौनपुर के कार्यालय से दि0–25.10.2019 एवं 26.10.2019 के सायं 4 बजे तक कार्यालय अवधि में प्राप्त किये जा सकते हैं।

(4) सीलबन्द निविदाओं की प्राप्ति जिला विकास कार्यालय में दि0–30.10.2019 को अपरान्ह 2 बजे तक स्वीकार की जायेगी, जो दि0–30.10.2019 को मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित निविदा समिति द्वारा सायं 4 बजे कार्यालय में समस्त निविदादाताओं के समक्ष सार्वजनिक रूप से खोली जायेगी। उपरोक्त निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

(5) कार्यों के उद्धरण की दरें प्रतिदिन का नहीं बल्कि निविदा प्रपत्र के अनुसार पूर्ण अवधि का ही स्वीकार किया जायेगा।

(6) उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विवरणी/शर्तें/नियमों एवं कार्यों आदि का स्पष्ट उल्लेख निविदा प्रपत्र में सम्मिलित है।

(7) निविदा इवेन्ट मैनेजर का ही स्वीकार किया जायेगा तथा उसे महोत्सव के समस्त कार्य समय से मानक एवं गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुये करना होगा।

(8) केवल उन्ही की निविदायें अनुमन्य होगी, जिसके पास पूर्व में किये गये महोत्सव आदि का अनुभव होगा।

(9) करों की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

(10) किसी भी या समस्त कार्यो को बिना कारण बतायें निरस्त करने या संशोधित करने का अधिकार मुख्य विकास अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

(11) महोत्सव के स्तर के दृष्टिगत निविदा में दरें कार्य की महत्ता एवं गुणवत्ता के अनुरूप ही मान्य होगी। किसी भी कार्य का बोगस दर प्राप्त होने की दशा में उसे निरस्त करने का अधिकार समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

(12) किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

(13) कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर धरोहर की धनराशि आंशिक अथवा पूर्णरूप से जब्त की जा सकती है।

(14) सभी सामान अपने साधन से कार्यक्रम स्थल तक लाने एवं ले जाने का उत्तरदायित्व इवेन्ट मैनेजर का होगा।

(15) समस्त कार्यो को करते समय प्राकृतिक आपदाओं जैसे–वर्षा, आग से सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखना होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी इवेन्ट मैनेजर की होगी।

(16) स्वीकार की गयी निविदा के इवेन्ट मैनेजर को नियमानुसार स्टाम्प पेपर पर तत्काल अनुबन्ध कराना आवश्यक होगा अन्यथा कार्यादेश नहीं दिया जायेगा।

निविदा आमंत्रण–प्रपत्र निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले अतिरिक्त अनिवार्य अभिलेखः–

1–	चरित्र प्रमाण पत्र–	राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र जो छः माह से पूर्व का न हो।
2–	आयकर प्रमाण पत्र–	आयकर विभाग द्वारा प्रदत्त विगत वित्तीय वर्ष का आयकर क्लियरेन्स प्रमाण–पत्र तथा स्थाई एकाउन्ट नम्बर (पैन) एवं निविदा भरे जाने हेतु उसके पास विगत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष कम से कम पचीस लाख का टर्न–ओवर किया गया हो।
3–	सर्विस टैक्स–	सर्विस टैक्स/जी0एस0टी0 के रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
4–	अनुभव प्रमाण पत्र–	बड़े महोत्सवों/मेलों आदि के कार्य का अनुभव प्रमाण–पत्र।
5–	धरोहर धनराशि–	रू0–1.00 लाख (एक लाख मात्र) धरोहर धनराशि जो एन0 एस0सी0/फिक्स डिपाजिट/पोस्ट आफिस बचत खाता जो मुख्य विकास अधिकारी, जौनपुर के नाम बन्धक कराया गया हो।

आवश्यक नोटः– उपरोक्त क्रमांक एक से पांच तक के अनुसार वांछित अभिलेख एन0एस0सी0/रसीद एवं प्रमाण–पत्र आदि को निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

23.x.19

मुख्य विकास अधिकारी,
जौनपुर।

पत्रांक 563 /एस0टी0/2019–20 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी महोदय की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।

2. जिला विकास अधिकारी, जौनपुर।
3. नगर मजिस्ट्रेट, जौनपुर।
4. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, वाराणसी।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जौनपुर को इस आशय से कि उक्त विज्ञप्ति को एन0आई0सी0 के वेबसाइट www.jaunpur.nic.in पर आज ही अपलोड करने का कष्ट करें।
6. जिला सूचना अधिकारी, जौनपुर को 6 अतिरिक्त प्रति के साथ इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

23.x.19.

मुख्य विकास अधिकारी,
जौनपुर।